

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक-1261 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, अक्टूबर, 08 . 2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक

नार्दन कोल फील्डस लि०

बीना-सोनभद्र ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/२५ दिनांक- 12.04.2022
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2947/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 13.04.2022
- 3-इस कार्यालय का पत्रांक- 3298/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 20.04.2022
- 4-आपका पत्र दिनांक- 07 दिनांक- 13.07.2022
- 5-इस कार्यालय का पत्रांक- 299/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.07.2022
- 6-आपका पत्र संख्या- 19 दिनांक- 29.09.2022
- 7-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1341/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 18.10.2022
- 8-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 1676/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 14.11.2022
- 9-इस कार्यालय का पत्रांक- 1594/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 15.11.2022
- 10-आपका पत्र संख्या- 27 दिनांक- 25.11.2022
- 11-इस कार्यालय का पत्रांक- 2201/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 04.01.2023
- 12-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2548/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 09.02.2023
- 13-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- 29.03.2023
- 14-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3150/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक-31.03.2023
- 15-इस कार्यालय का पत्रांक-3339/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 01.04.2023
- 16-आपका पत्रांक- बीना/उ०प्र०वन/एफ०सी०/२०२३/६ दिनांक- 25.04.2023
- 17-इस कार्यालय का पत्रांक- 3833/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 17.05.2023
- 18-आपका पत्रांक-09 दिनांक- 31.05.2023
- 18-इस कार्यालय का पत्रांक- 4284/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.06.2023
- 19-आपका पत्रांक-18 दिनांक- 12.09.2023
- 20-इस कार्यालय का पत्रांक- 1014/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.09.2023
- 21-इस कार्यालय का पत्रांक- 3906/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 10.04.2024
- 22-आपका पत्र संख्या- 35 दिनांक- 07.10.2024

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओं से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखों की माँग की गयी :-

क्र० सं०	विवरण
1	No non-forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनों बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा अप्रैल 2023 से लगातार आपसे अनुरोध किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा अनुपालन न करते हुए संदर्भित पत्र दिनांक-




07.10.2024 द्वारा यह सूचित किया गया है कि, " भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचन दिनांक- 20 सितम्बर 2024 के नियम 13 में उप नियम (1) के तीसरे, चौथे एवं पाचवें परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा गया है :-

परन्तु यह कि , अपवादात्मक परिस्थितियों में , जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर , केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कैंप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो ' ।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि गैर वन भूमि यदि जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है तो इस संबंध में जिलाधिकारी सोनभद्र महोदय के स्तर से जारी पत्र आपके द्वारा प्राप्त करते हुए प्रभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उसे उच्च स्तर के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित करते हुए नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय



(डा० मानेन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट